

## राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानश्रीनगर NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SRINAGAR डीन छात्र कल्याण कार्यालय

OFFICE OF DEAN STUDENTS' WELFARE हजरतबल, श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर, 190006, भारत

हजरतंबल, श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर, 190006, भारत HAZRATBAL, SRINAGAR JAMMU AND KASHMIR, 190006, INDIA

> ਜਂ./No: NIT/DSW/2024/866 ਫ਼ਿਜਾਂक/Dated: 04-12-2024

## सूचना / NOTICE

हाल ही में झेलम छात्रावास में शॉर्ट सर्किट के कारण हुई आग की घटना को देखते हुए, सभी निवासियों को निर्देश दिया जाता है कि वे उपयोग में न होने पर या कमरे से बाहर जाते समय हीटर, पंखे, लाइट आदि सहित सभी विद्युत उपकरण बंद कर दें।

बिजली के उपकरणों का सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित करना छात्रावास के नियमों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उल्लंघन से निवासियों और संपत्ति दोनों के लिए गंभीर सुरक्षा जोखिम पैदा होता है। इस घटना में छात्रों, सुरक्षा कर्मियों और मेस कर्मचारियों द्वारा समय पर हस्तक्षेप करने से एक बड़ी आपदा टल गई, जिससे पूरे छात्रावास को भारी नुकसान हो सकता था।

यह घटना सतर्कता और सुरक्षा प्रोटोकॉल के सख्त पालन के महत्व को रेखांकित करती है। सभी निवासियों से आग्रह किया जाता है कि वे इस मामले को गंभीरता से लें और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए अनुपालन सुनिश्चित करें। इन दिशानिर्देशों का पालन न करने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और छात्रावास की सुविधाओं से वंचित किया जा सकता है।

In light of the recent fire incident at Jhelum Hostel, which was caused by a short circuit, all residents are hereby directed to turn off all electrical appliances, including heaters, fans, lights and others, when not in use or when leaving the room.

Ensuring the safe use of electrical appliances is a critical part of hostel regulations. Violations pose a severe safety risk to both the residents and the property. The timely intervention by students, security personnel and mess workers in this incident averted a major disaster, which could have resulted in extensive damage to the entire hostel.

This incident underscores the importance of vigilance and strict adherence to safety protocols. All residents are urged to take this matter seriously and ensure compliance to prevent any recurrence of such incidents. Failure to comply with these guidelines will result in heavy fines and may lead to debarment from hostel facilities.

डीन छात्र कल्योंफे / Dean Students Welfare

## Copy to;

- निदेशक के विशेष सचिव कृपया निदेशक की जानकारी के लिए ।
  Special Secretary to Director for information of the Director please.
- 2. कृपया रजिस्ट्रार की जानकारी के लिए/P.S to Registrar for information of the Registrar. सभी एचओडी सूचना एवं प्रसार हेतु। All HoDs for information and circulation..
- 3. अध्यक्ष सीएससी को इस परिपत्र को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए। Chairman CSC for uploading this notice on the Institute Website.
- 4. संबंधित हॉल सहायक/वार्डन की जानकारी के लिए / All Hall Assistants & Wardens for information.
- 5. सभी नोटिस बोर्ड । All notice boards.